

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ई-नीलामी विक्रय सूचना

अचल संपत्तियां, सिक्यूरिटी इंजेशन एंड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फायनैसियल एसेट्स एवं इंफोर्सिमेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंस्ट्रूट 2002 के अंतर्गत

"जहाँ हैं जैसी हैं एवं जैसी हैं वैसे हैं" के आधार अधिग्रहित की गई हैं।

क्र.	ऋणीयों का नाम/ ऋण खाता क्र.	वसूली हेतु बकाया राशि (सुरक्षित ऋण) रु.	अचल संपत्ति का विवरण एवं स्थान	आरक्षित मूल्य एवं ईएमडी राशि	निरिक्षण की दिनांक	ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक ई-नीलामी की दिनांक एवं समय
1.	1) एस.आर. गारमेट्स इनके प्रोप्राइटर श्री राजेन्द्र झा पिता श्री जगन्नाथ प्रकाश झा द्वारा 2) श्री राजेन्द्र झा पिता श्री जगन्नाथ प्रकाश झा 3) श्रीमती संगीता झा पिता श्री आर.के. झा ऋण खाता क्र. 82021368	रु. 49,98,927.85 दिनांक 10/09/2020 को	दुकान नं. 01, दूसरी मंजिल, जगन शॉपिंग माल का भाग, गोबरा फाटक जिंसी नाला नं. 2, लश्कर, ग्वालियर, परिसर का लगभग बिल्ट अप क्षेत्रफल 373.75 वर्गफुट। चतुर्-सीमा: पूर्व: खुला क्षेत्र, पश्चिम: खुली जगह के बाद कॉमन पैसेज, उत्तर: अजय कुमार झा की दुकान नं. 2, दक्षिण: सिद्धियों के बाद कॉमन पैसेज	₹ 44,85,000/- ₹ 4,48,500/-	12.10.2020 दोप. 12.00 बजे एवं 3.00 बजे के मध्य	27.10.2020 28.10.2020 प्रातः 11 बजे एवं दोप. 12.00 बजे के मध्य हर सफल बोली के लिए 5 मिनट के असिमित विस्तार के साथ
2.	1) दि वीमेन पेलेस इनके प्रोप्राइटर श्री किसन उधवानी पिता लालचंद उधवानी द्वारा 2) श्री किसन उधवानी पिता लालचंद उधवानी 3) श्रीमती मानसी उधवानी पति किसन उधवानी ऋण खाता क्र. 01928020001845	रु. 38,37,359.25 दिनांक 07/09/2020 को	फ्लैट नं. जी-02, तल मंजिल, प्लॉट नं. 32 एवं 33, पर निर्मित, ब्लॉक नं. बी, म्युनिसिपल मकान नं. 42/808/146 एवं 42/806/146 एवं 42/142, कान्हा हाइट्स, कृष्णा विहार, समाधिया कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर, परिसर का लगभग बिल्ट अप क्षेत्रफल 74 वर्ग मीटर। चतुर्-सीमा: पूर्व: पार्किंग, पश्चिम: खुली जगह के बाद अन्य का प्लाट, उत्तर: अन्य का प्लाट, दक्षिण: कॉमन पैसेज एवं सिद्धियां	₹ 33,43,200/- ₹ 3,34,320/-	12.10.2020 दोप. 12.00 बजे एवं 3.00 बजे के मध्य	27.10.2020 28.10.2020 प्रातः 11 बजे एवं दोप. 12.00 बजे के मध्य हर सफल बोली के लिए 5 मिनट के असिमित विस्तार के साथ

*भुगतान एवं/अथवा वसूली तक खर्च किये गये लागू आकस्मिक खर्चों, लागतों, अधिभारों सहित भविष्य में लागू ब्याज के साथ।

एनबी: एचडीएफसी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी (ए.ओ.) अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार यहाँ दर्शाई संपत्ति पर कोई अधिभार नहीं है, यहाँ दर्शाये विवरण अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर हैं, यद्यपि वे उपरोक्त विवरण में किसी त्रुटि, गलत कथन या छुपाये तथ्य के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। निविदाकर्ता (ओं)/भावी क्रेता (ओं) से निवेदन किया जाता है कि निविदाओं को भरने से पूर्व वे अपने स्तर पर निरिक्षण द्वारा उपर दर्शाई संपत्ति/संपत्तियों पर उपरोक्त एवं अन्य संबंधित विवरणों की जानकारी प्राप्त कर स्वयं/उनको संतुष्टि कर लें। नीलामी निरस्त हो जायेगी, यदि ऋणकर्ता नीलामी तिथि के पूर्व शेष ऋण का भुगतान कर देंगे।

विक्रय की शर्तें व नियम:

- विक्रय कड़ाई से निविदा दस्तावेज/ई-बिडिंग कैटलॉग एवं इस नोटिस में दर्शाई नियम व शर्तों के अनुसार की जायेगी। अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों एवं निविदा दस्तावेज/ऑनलाईन ऑक्शन कैटलॉग की अधिक जानकारी के लिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, प्लाट नं. 45, प्रथम मंजिल, एसपी टॉवर, एसपी कार्यालय के पास, सिटी सेंटर, ग्वालियर, (म.प्र.)-पिन 474011 फोन : 0751-4000239 पर किसी भी कार्यदिवस पर एकत्रित/प्राप्त किया जा सकता है। संपत्तियाँ उपर यहाँ कॉलम में दर्शाई तिथि (यो) और समय पर निरिक्षण के लिए उपलब्ध हैं।
- मोहरबंद निविदाएं (निर्धारित निविदा दस्तावेज/ई-बिडिंग कैटलॉग में मात्र) 10% धरोहर राशि (ईएमडी) के साथ एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, प्लाट नं. 45, प्रथम मंजिल, एसपी टॉवर, एसपी कार्यालय के पास, सिटी सेंटर, ग्वालियर, (म.प्र.)-पिन 474011 फोन : 0751-4000239 पर उक्त उल्लेखित दिनांक को या इसके पूर्व जमा की जा सकती हैं। भुगतान केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट्स/पे-ऑर्डर द्वारा एक अधिसूचित बैंक द्वारा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के पक्ष में ग्वालियर में भुगतान योग्य होना चाहिये। पूर्ण रूप से नहीं भरे गए प्रस्ताव या बिना ईएमडी के प्रस्ताव अथवा उपरोक्त तिथि के बाद प्राप्त प्रस्ताव वैध प्रस्ताव के तौर पर मान्य नहीं होंगे और निरस्त कर दिए जाएंगे। ई-नीलामी की तिथि व समय यहाँ ऊपर अंतिम कॉलम में दर्शाई गई हैं। 2(1) उपरोक्त संपत्तियों के लिए बोली वृद्धिशील मूल्य रु. 10,000/- होगी। 2(2) असफल बोलीकर्ताओं द्वारा जमा की गई धरोहर राशि विक्रय पूर्ण होने के 15 दिन की भीतर वापस कर दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- दस्तावेज: निविदा पत्र/ई-बिडिंग कैटलॉग के साथ निविदाकर्ता(ओं) को उसका उसकी फोटो पहचान पत्र तथा निवसी की प्रमाण पत्र जैसे पासपोर्ट, चुनाव आयोग कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आय कर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड आदि की छायाप्रति भी संलग्न करनी होगी। कृपया ध्यान दें निविदाकर्ता/प्रस्तावकर्ता द्वारा पते के प्रमाण पर आवश्यकता उत्पन्न होने पर उसकी/उसके संबंधित द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा करना होगा।
- अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों के ऋणीकर्ता (ओं)/गिरवीकर्ता(ओं)/प्रतिभूतिकर्ता(ओं), यदि वे इच्छुक हों, देना चाहें/अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ संभव वैध प्रस्ताव को प्रयोजित कर सकते हैं, नियम व शर्तों के अनुसार विक्रय उपलब्ध कराया जायेगा एवं इसके साथ ही विक्रय पूर्ण होगा।
- निविदाकर्ताओं/भावी क्रेताओं को ऑनलाईन नीलामी के दौरान उनके प्रस्ताव/वों को बढ़ाने/वृद्धि करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। ऑनलाईन नीलामी में भागीदारी करने वाले निविदाकर्ताओं/भावी क्रेताओं के लिये अतिरिक्त नियम व शर्तें हैं: ए) श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड ऑनलाईन नीलामी के लिए प्राधिकृत अधिकारी का सहयोग करेगा। बी) ऑनलाईन नीलामी में भागीदारी करने के लिए प्रपत्र, आवेदन, घोषणा आदि वेबसाइट <https://eauctions.samil.in> से डाउनलोड किये जा सकते हैं। सी) निश्चित तिथि व समय में ऊपर दर्शाये आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति पर मेसर्स ई-प्रोक्युरमेंट टेक्नालॉजिज लिमिटेड द्वारा पात्र निविदाकर्ताओं/भावी क्रेताओं को एक पासवर्ड/यूजर आईडी उपलब्ध कराई जायेगी। ऑनलाईन नीलामी <https://eauctions.samil.in> में भागीदारी करने के लिये श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।
- भार सहित यदि कोई हो संपत्ति "जहाँ है, जैसी है", "जो कुछ भी है" एवं "बिना किसी सहारा आधार पर विक्रय की जाएगी। कानूनी अधिभार जैसे संपत्ति कर/संस एवं/या बिल्डर/सोसायटी जूज, भवन मरम्मत फंड में अंशदान, स्थांतरण अधिभार, कोई अन्य कर आदि निविदाकर्ता (ओं)/प्रस्तावकर्ता (ओं)/भावी क्रेता (ओं) द्वारा वहन एवं भुगतान किया जाएगा। स्टैप ड्यूटी, विधिक अधिभार एवं सेल सर्टिफिकेट जारी किये जाने में लगने वाला पंजीकरण शुल्क एवं जीएसटी क्रेता द्वारा एकल भुगतान किया जायेगा। बैंक किसी भी संपत्ति संबंधित अधिभार, ऋण, भार, करों, संपत्ति कर या अन्य भार जो सांविधिक निकाय/सरकारी निकाय से संबंधित हैं, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी बोली को स्वीकार या निरस्त करने का अथवा विक्रय को स्थगित/विलंबित/निरस्त का एवं किसी भी समय विक्रय की नियम व शर्तों में जोड़ने/हटाने/परिवर्तन का अधिकार ऋणकर्ता, स्वामी, बोलीकर्ता, जनता आदि को बिना कोई कारण बताए संरक्षित रखते हैं। ई-नीलामी विक्रय सुरक्षित लेनदार/बैंक के पुष्टिकरण के विषयाधीन है। यदि ऋणकर्ता/प्रतिभूतिकर्ता/विक्रय की तिथि के पूर्व ऋण का पूर्ण भुगतान कर देते हैं तो विक्रय आयोजित नहीं किया जाएगा। बैंक/सुरक्षित लेनदार के निर्णय के विरुद्ध विक्रय/नीलामी के निरस्त होने पर कोई भी दावा सफल बोलीकर्ता द्वारा नहीं किया जा सकेगा।
- विक्रय मूल्य पर निर्भर, विक्रय की पूर्णता पर विक्रय आयकर अधिनियम के सेक्शन 194 (1ए) के अंतर्गत टीडीएस का प्रावधान भी लागू होगा।
- व्यक्ति जिसे क्रेता घोषित किया गया है, इस घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि का 25% "प्राधिकृत अधिकारी" के पास तुरंत जमा करनी होगी एवं शेष 75% राशि नीलामी की तिथि के 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी, इस जमा में चूक होने पर संपत्ति राजसात कर ली जायेगी एवं पुनः विक्रय के लिए प्रस्तुत की जायेगी। निविदा दस्तावेजों/ई-बिडिंग कैटलॉग प्राप्त करने में अथवा अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों के निरिक्षण एवं पूछताछ में कोई कठिनाई होने पर, कृपया एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के संबंधित अधिकारी 1. श्री सुधांशु दुबे से 9300591209 एवं 0731-3929700 या ई-मेल: sudanshu.dubey@hdfcbank.com, 2. श्री चिन्मय पाठक से उनके मोबा. नं. 9958278395 या ई-मेल: Chinmay.Pathak1@hdfcbank.com एवं श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड लिखनऊ के अधिकारीयों 1. श्री देबज्योति रॉय से 9874702021, या ई-मेल: debjyoti.r@123done.in, 2. श्री विशाल बुन्देला से 9893399932 या ई-मेल: vishal.b@123done.in, वेब: <https://eauctions.samil.in> पर संपर्क कर सकते हैं, एचडीएफसी बैंक उद्यत एवं/या सभी प्रस्ताव/वों को स्वीकार या निरस्त और संपूर्ण नीलामी को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

यह नोटिस सिक्यूरिटी इंस्ट्रूट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के रूल 8(6) के अंतर्गत ऋणकर्ता/गिरवीकर्ता को 30 दिनों के नोटिस के तौर पर भी मान्य होगा।

 दिनांक : 2020
 स्थान : ग्वालियर

 हस्ता/-
 प्राधिकृत अधिकारी